(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है और भारत द्वारा इस समय इन देशों को कितने मूल्य का सामान निर्यात किया जा रहा है;

(ग) क्या व्यापार सन्तुलन बनाये रखने की दृष्टि से, सरकार का इन देशों से किये जा रहे आयात में कमी करने का विचार है और क्या पट्रोल की खपत में कमी करके पैट्रोल के आयात में भी कमी की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य तथा इस्पात व खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत से अनुरोध किया है कि वह प्रश्न में बताए गए देशों के लिए भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय वस्त्र करार के अनुच्छेद 6 के अन्तर्गत श्रेणी 6 (पुरुषों तथा लड़कों की पैन्टें तथा कमीजें और महिलाओं की पैन्टें) के अधीन निर्यात निलम्बित कर दें। भारत सरकार को ऐसे किन्हीं अन्य उपायों की जानकारी नहीं दी गई है जो भारत से आयात कम करने या उन्हें रोकने के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय द्वारा सोचे जा रहे हैं

भारत द्वारा 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 (अप्रैल से सितम्बर) अवधियों के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सभी नौ देशों को निर्यात किए गए माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है

वर्ष	(करोड़ रु० में)
1977–78	1393.84
1978–79	1573.48
1979–80 (अप्रैल से सितम्बर)	784.33

(ग) तथा (घ) बढ़ते हुए व्यापार घाटे को देखते हुए, हमारे विश्वव्यापी आयातों की निरन्तर समीक्षा की जाती है । तथापि केवल यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से होने वाले आयातों पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि इन देशों से होने वाले आयातों के लिए कोई पृथक नीति नहीं है । जहां तक पट्रोलियम का सम्बन्ध है, उसकी खपत का स्तर न्यूनतम रखने के प्रयास किए जा रहे हैं और आयात उतने ही किए जाएंगे जितने कि घरेलू उत्पादन की अनुपूर्ति करने के लिए अपेक्षित होंगे ।

Export of Human Skeletons

*497. SHRI N. E. HORO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether some cases regarding the export of human skeletons have come to the notice of Government;

(b) if so, from which State and whether Government have also received any information regarding the large scale desecration of graves for recovering human skeletons for export; and

(c) if so, what preventive steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE AND STEEL AND MINES (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) to (c). Export of human skeletons and parts thereof is allowed by the Port Licensing Authorities on production of certificates from (i) police authorities not below the rank of Officer-in-Charge of the Police Station concerned regarding the source of procurement which should also indicate the quantity by weight or by number and export is allowed by the licensing authorities only to the extent mentioned in the certificate and (ii) foreign buyer that human skeletons are required for biological and medical purposes only.

2. The major exporters of human skeletons are located in Calcutta. There were complaints in the past that the collectors of human skeletons were indulging in malpractices, such as de-

secration of grave yards, digging up of dead bodies, etc. Keeping in view these complaints, the condition of production of a certificate from the police authorities concerned in regard to the source of procurement has been stipulated. All State Governments and Union Territories were also advised to keep an informal watch on the collectors of human skeletons to prevent any unlawful/criminal activities being resorted to by them.

कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए मारे गये छापे

*496. **श्री दौलत राम सारण :** क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए सारे देश में जनवरी, 1980 से अब तक कुल कितने छापे मारे गये हैं;

(ख) कितने मूल्य का माल कब्जे में लिया गया;

(ग) कितने मूल्य का माल जब्त किया गया;

(घ) कितने मामलों में चालान किये गये;

(ङ) इस बारे में कितने लोगों को सजा दी गई; और

(च) कितने मामले सरकार के विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर विभाग ने जनवरी 1980 से नवम्बर 1980 तक की अवधि में 2940 तलाशियां ली हैं :

(ख) इन तलाशियों के दौरान लगभग 16.43 करोड़ रुपये मूल्य की परिसम्पत्तियां पकड़ी गई हैं ।

(ग) से (च). इन मामलों में विस्तृत तथा सम्यक जांच-पड़ताल चल रही हैं । जांच-पड़ताल पूरी होते ही इन मामलों में कानून के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही की जाएगी ।

Hike in customs duty on high density Polythylene

*499. **Shri H. N. NANJE GOWDA:**
SHRI D. M. PUTTE GOWDA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the basic price of Indigenous Plastic Raw material is much higher than the similar cost of raw materials in foreign countries like South Korea;

(b) if so, whether steep rise of Customs Duty from 91.7 per cent on C.I.F. value of High Density Polythylene to 156.6 per cent will cause severe strain on the meagre finances of small scale plastic units;

(c) whether in view of recent hike in Customs Duty to 156.6 per cent on High Density Polythylene most of the small scale units are about to be closed resulting in retrenchment and loss of revenue on account of sales tax, income tax to Government; and

(d) whether in view of this, it is proposed to reduce the customs duty to what was prevailing prior to 16-10-1980?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SAWAISINGH SISODIA): (a) Owing to the fact that Indian petro-chemical plants are generally based on higher priced naptha and are comparatively less viable in size, the basic prices of indigenous plastic raw material are generally higher than the basic prices prevalent in foreign countries where quite a few of the plants are based on cheaper feed stock like natural gas and have more viable production capacities.